रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938
No. 277] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938

Indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को, जिसे सा.का.नि. 221(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन बातों के सिवाय निरसन करते हुए, जिन्हें ऐसे निसन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गिया है, निरसित करती है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2014-सीपीडब्ल्यु]
डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

G. S. R. 433(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government in consultation with the Central Pollution Control Board, hereby repeals the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, section 3, sub-section (i), vide GSR - 221 (E) dated the 23rd March, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

[F. No. A-12018/1/2014-CPW]
Dr. RASHID HASAN, Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.